

मिति २०८१ साल असोज १६ गते सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शंकरहरि आचार्यज्यूको अध्यक्षतामा चाडपर्व लक्षित गरी सुनचाँदी पसलहरूको सुरक्षा लगायतका विषयमा तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी निम्नानुसारका छलफल तथा निर्णय भएरियो।
 उपस्थिति:

| क्र.सं. | नामथर | पद | कार्यालयको नाम | सम्पर्क नम्बर | हस्ताक्षर |
|---------|---------------------|-----------|---|----------------------|-----------|
| १ | श्री शंकरहरि आचार्य | प्र.जि.अ. | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत | ९८५८००७७७७ | |
| २ | श्रीपति शर्मा | प्र.उ | जि.प्र.अ | | |
| ३ | श्रीमान राज बोग्छा | ११ | प्रदेश शासन | | |
| ४ | राज कुमार श्रेष्ठ | स.प्र.उ. | स.प्र.व.न.प.ल.नं.३२ गण, रतुवाली पुर्खेत | | |
| ५ | वासुदेव शर्मा | | सु. उ. वा. स. थ | | |
| ६ | लक्ष्मण शर्मा | अध्यक्ष | सु. उ. वा. स. थ | ९८५८०५०१५८ | |
| ७ | दिलप्रसाद शर्मा | प्र.अ. | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | ९८५११७७७७ | |
| ८ | जनक सुना | अध्यक्ष | ने. पु. न. यी. र. ग. म. अ. क. म. | ९८५८०५०१५८ | |
| ९ | वसिष्ठ सुनार | उ.नि. | जिल्ला आपुठ प्रहरी क. | ९८५८०६५४९६ | |
| १० | दिनेश शर्मा | अध्यक्ष | कर्माली पुर्खेत तथा रतुवाली पुर्खेत | ९८५८०५०१५८ | |
| ११ | ८ | | | | |
| १२ | देवशर्मा सुनार | स.साथी | ने. पु. न. यी. र. ग. म. अ. क. म. काठमाण्डौ नं. १००/१ | ९८५८०५००७७ | |
| १३ | सविन लोहरी | | " " | ९८५८०५०१५८ | |
| १४ | सञ्जीव बराल | सचिव | सुनचाँदी व्यवसायी संघ सुर्खेत | ९८५८००६३०९ | |
| १५ | वैश्वि लोहरी | अध्यक्ष | नेपाल सुन चाँदी व्या. संघ, आ. प्र. उ. म. ए. म. | ९८५८००३६ ९८५८००३६ | |
| १६ | श्रीमान क. शर्मा | उपाध्यक्ष | सुनचाँदी व्यवसायी संघ सुर्खेत | ९८५८०९६४९६ | |
| १७ | शान्ति शर्मा | अध्यक्ष | सुनचाँदी व्यवसायी संघ सुर्खेत | ९८५८००६९ ९८५८००६९ | |
| १८ | मोहन सुनार | महासचिव | - | ९८५८०५०१५८ | |
| १९ | सुनिल रामदास | सहकारक | - | ९८५८०५०१५८ | |
| २० | बसन्तबाबु श्रेष्ठ | डि.व.अ. | डि. व. का. सुर्खेत | ९८५८०६६२५४ | |



निर्णयहरूः

१. वडादशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूमा सुनचाँदी पसल तथा बजारमा ग्राहकहरूको आवतजावत बढी भई भिडभाड हुने ग्राहकका नगद तथा सामान चोरी हुने तथा हराउने समस्या हुन नदिन त्यस्ता पसलहरूले आफ्नो पसल प्रवेशद्वार र सेवाग्राहीसँग कारोबार हुने स्थानमा पहुँच पुग्ने गरी CC Camera समेतको व्यवस्था गरी विश्वसनीय एवम् गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्ने।
२. सुनचाँदी पसलहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको नाम/नामेसी विवरण र निजहरूको फोन नम्बर समेत उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २ दिनभित्र उपलब्ध गराउने।
३. सुनचाँदी पसलहरूमा कुनै पनि सङ्घाष्पद गतिविधि हुन थालेको वा भई रहेको थाहा पाएमा तत्काल नजिकको प्रहरी, १०० नम्बर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सञ्चारको मोबाइल नम्बर ९८५८०५७०५५ मा खबर गर्ने।

२०७३/०६/१९
शंकरहरि आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७३/०६/१९